

**Scheme for giving financial assistance to 'Voluntary Organisations for propagation and development of the Official Languages of the Union and the States in the field of law'**

The Government of India, Ministry of Law and Justice has a scheme for giving financial assistance to voluntary organizations engaged in propagation and use of Hindi and other regional languages specified in Eighth Schedule to the Constitution of India in the field of law. The grant would be available to those organisations, who are doing any of the following works in any language mentioned in the Constitution of India, namely:-

- (i) Preparation and publication of original law books,
- (ii) Translation and publication of standard law books or classics,
- (iii) Preparation and publication of legal glossary,
- (iv) Publication of Law Journals,
- (v) Any other publication, which may develop and propagate Hindi or other official languages of the States in the field of law, and
- (vi) Additional grants would be considered for works in regional languages accompanied by its version in Hindi.

The Application Form & Copy of Scheme is available on our website [www.legislative.gov.in](http://www.legislative.gov.in)

Duly filled in applications should reach this office till 3<sup>rd</sup> March, 2024 positively.

For additional information and for obtaining the application form, contact:

**Joint Secretary and Legislative Counsel (Official Language),  
Ministry of Law & Justice,  
Legislative Department,  
Official Languages Wing,  
Room No. 725, 7<sup>th</sup> Floor, 'A' Wing,  
Shastri Bhawan,  
New Delhi-110001.  
Phone No. 23386229.  
Fax No. 011-23387051.**

## विधि के क्षेत्र में संघ की राजभाषा और राज्यों की राजभाषाओं के प्रचार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीम

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय में विधि के क्षेत्र में हिंदी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग और प्रचार के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्कीम है। अनुदान उन्हीं संस्थाओं को दिया जाएगा जो भारत के संविधान में उल्लिखित किसी भाषा में निम्नलिखित में से कोई कार्य करती हैं, जैसे कि :-

- (i) विधि की मौलिक पुस्तकों की रचना और प्रकाशन,
- (ii) विधि की मानक पुस्तकों या गौरव ग्रंथों का अनुवाद और प्रकाशन,
- (iii) विधि शब्दकोश निर्माण और प्रकाशन,
- (iv) निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन,
- (v) कोई अन्य प्रकाशन जो हिंदी या राज्यों की अन्य राजभाषाओं का विधि के क्षेत्र में विकास और प्रचार करें, और
- (vi) प्रादेशिक भाषाओं में उन कृतियों के लिए अतिरिक्त अनुदान देने पर भी विचार किया जाएगा जिनके साथ उनका हिंदी पाठ संलग्न हो।

आवेदन-पत्र और स्कीम की प्रति हमारी वेबसाइट [www.legislative.gov.in](http://www.legislative.gov.in) पर उपलब्ध है।

सम्यक् रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तारीख 3 मार्च, 2024 तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंच जाना चाहिए।

अतिरिक्त जानकारी और आवेदन-पत्र के लिए संपर्क करें :

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, (राजभाषा),  
विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग,  
राजभाषा खंड, कमरा सं. 725, 'ए' विंग. 7वां तल,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.  
फोन न. 23386229.  
फैक्स न. 011-23387051